

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 627 / 13

संस्थापन दिनांक:-30 / 12 / 13

फाईलिंग नं. 23350400002013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

शेखर पिता नान्हू पवार, उम्र 27 वर्ष,
निवासी कुन्बी मोहल्ला आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.12.2013 को समय रात 08:00 बजे फरियादी के मकान के सामने कुंबी मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी केगईबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी केगईबाई ने शांताबाई का मकान खरीदा था। दिनांक 23.12.2013 रात करीब 8 बजे वह उसके नाती गोलू ने उनके द्वारा खरीदा गया मकान शांताबाई को खाली करने का कहा तो शांताबाई का लड़का शेखर ने उसका सामान कमरे में रखने का कहकर उसके नाती गोलू एवं उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा हाथ थप्पड़ से मारपीट कर खींचातानी की। अभियुक्त ने उसे दोबारा मकान खाली करने का कहने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 496/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी केगईबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी केगईबाई को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 केगईबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त शेखर ने उसे मां बहन की गालियां दी थी। राधाबाई (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उसकी सास केगईबाई को मकान खाली करने की बात पर से गंदी गंदी गालियां दिया था। साक्षी गोंदरया (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने मकान खाली करने की बात पर से उसकी पत्नी केगईबाई को मां बहन की गाली गलौच किया था।

6 साक्षी केगईबाई (अ.सा.-2), राधाबाई (अ.सा.-3) एवं गोंदरया (अ.सा.-3) ने यद्यपि अभियुक्त द्वारा गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं. सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 केगईबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मकान खाली करवाये जाने पर जान से खत्म करने की धमकी दिये जाने के कथन किये हैं। साक्षी राधाबाई (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने एक-एक को देखने की धमकी दी थी। साक्षी गोंदरया (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय धमकी दिया था।

8 अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 केगईबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्के से उसकी गर्दन के नीचे मारपीट की थी जिससे उसे चोटें आयी थीं। राधाबाई (अ.सा.-3) एवं गोविंदराव (अ.सा.-4) ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्त शेखर ने उसकी सास केगई बाई को हाथ मुक्के से पीठ पर मारा था और उसने बीच बचाव किया था।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-1) ने दिनांक 24.12.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत केगईबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ में दर्द के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पायी थी। उक्त साक्षी ने अपने द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-1) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

11 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 25.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 496/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दौरान विवेचना नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया जाना एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना तथा दिनांक 26.12.2013 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-5) तैयार किया जाना प्रकट किया है। साथ ही उक्त साक्षी ने उपर्युक्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित

होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में गोलू उर्फ प्रेमशंकर (अ.सा.—5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष मारपीट नहीं हुई थी किंतु बाद में उसे पता चला था कि अभियुक्त ने उसकी दादी के साथ मारपीट की है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त शेखर ने किसके यहां सामान रखा था और घटना स्थल पर क्या हुआ था इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही साक्षी ने अपने पुलिस कथनों से भिन्न कथन न्यायालय में प्रकट किये हैं जिससे यह साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

14 राधाबाई (अ.सा.—3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया कि अभियुक्त शेखर ने उसकी सास को हाथ मुक्के से पीठ पर मारा था तथा उसने बीच बचाव किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अपने घर में सबसे पीछे वाले कमरे में खाना बना रही थी। स्वतः में व्यक्त किया है कि वह बीच वाले कमरे में खाना बना रही थी परंतु साक्षी ने इसी पैरा में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि जहां पर वह खाना बना रही थी वहां से घटना स्थल दिखाई नहीं देता है तथा इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी सही बताया कि उसने अभियुक्त द्वारा उसकी सास केगईबाई को मारपीट करते नहीं देखा था।

15 गोविंदराव (अ.सा.—4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त शेखर ने मकान खाली करने की बात पर से उसकी पत्नी केगई के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया था परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह सही होना बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं था और उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी केगई (अ.सा.—2) और बहू राधाबाई (अ.सा.—3) ने दी थी। केगईबाई (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त शेखर के द्वारा उसे गर्दन के नीचे मारपीट किया जाना बताया है तथा बहू राधा के द्वारा बीच बचाव करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया कि मकान खाली करने की बात पर से अभियुक्त के साथ उसने भी झगड़ा किया था तथा इसी पैरा में इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त यदि उसके मकान में से सामान उठा लेता और मकान खाली कर देता तो वह उसकी रिपोर्ट नहीं करती।

16 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य मकान खाली कराये जाने को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा है इसलिए अभियुक्त को फरियादी द्वारा प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है।

17 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी केगई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया कि शांतिबाई से मकान खरीदने के बाद उसने अभियुक्त को कई बार मकान खाली करने को कहा था और सामान फेंकने को कहा था और वह सामान फेंकने ही वाली थी परंतु यह सोचकर नहीं फेंका कि अभियुक्त खुद ही मकान खाली कर देगा। राधाबाई (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 6 में यह सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसके मकान में सामान रख दिया है जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया है इसी बात को लेकर उसकी नाराजगी है। गोविंदराव (अ.सा.-4) प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में यह सही होना बताया है कि अभियुक्त सामान नहीं उठा रहा था, आने जाने में दिक्कत होती थी इसलिए रिपोर्ट लेख करायी थी। इस तरह से उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से मकान पर अभियुक्त द्वारा सामान रखे जाने की बात पर उभयपक्ष के मध्य पूर्व से विवाद होना परिलक्षित हो रहा है। आहत को मात्र परीक्षण में दर्द पाया गया है। साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। ऐसी दशा में उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य प्रमाणित होने से अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत होने से स्वीकार योग्य है।

18 अभियोजन कथा अनुसार प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी राधाबाई (अ.सा.-3) एवं गोलू (अ.सा.-5) है। गोलू (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी राधाबाई (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त द्वारा उकसी सास को मारपीट किये जाने के तथ्य से इनकार किया है। गोविंदराव (अ.सा.-4) प्रकरण में अनुश्रुत साक्षी है जिसे घटना की पूरी जानकारी उसकी पत्नी और बहू के द्वारा दी गयी है। घटना दिनांक 23.12.2013 की रात्र 8 बजे की है। फरियादी केगई के द्वारा घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दिनांक 24.12.2013 को दिन के 02:30 बजे की गयी है। थाने से घटना स्थल की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कारण सलाह विचार कर रिपोर्ट कराया जाना लेख है। फरियादी केगई के मेडिकल परीक्षण में कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी है। विलंब का समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य मकान को लेकर पूर्व से विवाद होना स्थापित है। ऐसी स्थिति में विचार विमर्श उपरांत अत्यन्त विलंब से रिपोर्ट लेख कराया जाना अभियोजन कथा को संदेहास्पद बना देता है। निष्कर्षतः आरोपी के विरुद्ध धारा 323 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी केगईबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित

कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त शेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)